

17/1/19 पत्रावली राज पेश हुई।

अपीलेंट द्वारा मह अपील लोकसूचना
कार्यकारी (कॉलेज जिला कलेक्टर) वाली मु. RTI.
अभिज्ञान पत्र के द्वारा सूचना उपलब्ध कराते हेतु
आवेदन को प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना कार्यकारी
द्वारा एक माह में सूचना उपलब्ध नहीं कराते या
इस न्यायालय में अपील पेश की गई। जिसके सम्बन्ध
में घोषित सूचना उपलब्ध कराते हेतु लोक सूचना कार्यकारी
ADN वाली को लिखा गया। उन्होंने जरूर पत्रोंक का
सं. क्र. 95/2019/1210 दिनांक 15-6-2019 के प्रत्युत्तर
घोषित कर उसकी प्रति इस न्यायालय के अधिन की है।
जिसके अनुसार प्रार्थी कपी. जल्लाह सिंह के घोषित
सूचना उपलब्ध करा दी गई है। एवं अपील का निष्पत्त
कराते हेतु भी विवेकत किया गया।

अपीलेंट को घोषित सूचना उपलब्ध
कराती गई है। एसी स्थिति में इस अपील के अन्दर में
किसी प्रकार की कार्यवाही कोषित नहीं रह जाती है।
निहाय अपील अपीलेंट सूचना उपलब्ध करा
देने से वाप की जाती है।

पत्रावली नुसार फैसल की जाका
इस न्यायालय में नम्बा से कम हो।

जिला कलेक्टर, बाली